विविध **बैंक प्रकरण संख्या 203/2022**(GCMS : **2022/297) अदानी कैपीटल प्राइवेट लिमिटेड** का रजिस्टर्ड ऑफिस अदानी हाउस, 56 श्रीमानी सोसाईटी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात – 380009 में स्थित एवं कार्यरत है और जिसका एक कार्यालय वन बीकेसी, सी.विंग, 1004/5, दसवीं मंजिल बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलैक्स, बान्द्रा ईस्ट, मुम्बई महाराष्ट्र–400051 एवं जिसका एक कार्यालय **एस 18–19, महिमा ट्रिनिटी मॉल, प्लॉट नलं. 5, स्वेज फार्म, न्यू सांगनेर रोड, सोडाला, जयपुर राजस्थान – 302019 में स्थित एवं कार्यरत है जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री रोहन बागड़ी बनाम 1. अंग्रेज सिंह पुत्र करनैल सिंह** पता प्लॉट नं. 516, 24 ए एस''सी'' नई मण्डी घड़साना, श्रीगंगानगर राजस्थान – 335707 एवं Plot of Registry No. 20150000324 & 20150000325 in Murba Number 65/27, Kila Number 02, 05, 15 Ward Number 06 of Chak 2 Gd-A, Gram panchayat 2 Gd-B, Tehsil Gharsana, District Sriganganagar Rajasthan -335707 **2. मनदीप सिंह पुत्र करनैल सिंह** पता प्लॉट नं. 516, 24 एएस''सी'' नई मण्डी घड़साना, श्रीगंगानगर राजस्थान – 335707

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.02.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री विश्वेन्द्र बिश्नोई उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 07.12.2022 को प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक द्वारा **अप्रार्थीगण अंग्रेज सिंह एवं मनदीप सिंह** को ऋण सुविधा के रूप में कुल 20.00 लाख रूपये (अखरे रूपये बीस लाख मात्र) का ऋण दिनांक 29.12.2020 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मनदीप सिंह का औद्योगिक भूखण्ड जो कि चक नम्बर 2, जीडी–ए, ग्राम पंचातय 2 जीडी–बी, का मु.नं. 65/27 का साईज 0.063 है., किला नं. 1 से 74.25 फुट छोड़कर पूर्व की ओर 41.25 गुणा 165 भूखण्ड अंग्रेज सिह पुत्र करनैल सिंह के पूर्व की चीपता हुआ है, जिसका रजिस्ट्री नम्बर 2015000324 दिनांक 05.05.2015 को उप पंजीयक तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर पर पंजीबद्ध है एवं **अंग्रेज सिंह** औद्योगिक भूखण्ड जो कि चक नम्बर 2, जीडी–ए, ग्राम पंचायत 2 जीडी–बी, का मु.नं. 65/27 का साईज 0.063 है., किला नं. 1 से 33 फुट छोड़कर पूर्व की ओर 41.25 गुणा 165 भूखण्ड तरूण बंसल पुत्र श्री करता राम के पूर्व की ओर चीपता हुआ है, जिसका रजिस्ट्री नम्बर 2015000325 दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:36:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

05.05.2015 को उपजीयक तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर पर पंजीबद्ध है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 08.12.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थीगण ऋणियों के नाम दिनांक 23.12.2021 को 22,19,035/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 27.12.2021 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने के लिए जारी किया गया। उक्त धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है तथा धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन दो समाचार पत्रों सीमा संदेश एवं इण्डियन एक्सप्रैस में भी करवाया है। **इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थीगण ऋणियों **द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास दृष्टि बंधक** रखी गई अप्रार्थी अप्रार्थी मनदीप सिंह का औद्योगिक भूखण्ड जो कि चक नम्बर 2, जीडी–ए, ग्राम पंचातय 2 जीडी–बी, का मु.नं. 65/27 का साईज 0.063 है., किला नं. 1 से 74.25 फुट छोड़कर पूर्व की ओर 41.25 गुणा 165 भूखण्ड अंग्रेज सिह पुत्र करनैल सिंह के पूर्व की चीपता हुआ है, जिसका रजिस्ट्री नम्बर 2015000324 दिनांक 05.05.2015 को उपजीयक तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर पर पंजीबद्ध है एवं **अंग्रेज सिंह औद्योगिक भूखण्ड जो कि चक नम्बर 2, जीडी–ए,** ग्राम पंचायत 2 जीडी–बी, का मु.नं. 65/27 का साईज 0.063 है., किला नं. 1 से 33 फुट [illegible] पूर्व की ओर 41.25 गुणा 165 भूखण्ड तरूण बंसल पुत्र श्री करता राम के [illegible] ओर चीपता हुआ है, जिसका रजिस्ट्री नम्बर 2015000325 दिनांक 05.05.2015 को उपंजीयक तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर पर पंजीबद्ध है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:36:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** अंग्रेज सिंह एवं मनदीप सिंह **को** 20.00 रूपये (अखरे रूपये बीस लाख मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 29.12.2020 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मनदीप सिंह का औद्योगिक भूखण्ड जो कि चक नम्बर 2, जीडी–ए, ग्राम पंचातय 2 जीडी–बी, का मु.नं. 65/27 का साईज 0.063 है., किला नं. 1 से 74.25 फुट छोड़कर पूर्व की ओर 41.25 गुणा 165 भूखण्ड अंग्रेज सिह पुत्र करनैल सिंह के पूर्व की चीपता हुआ है, जिसका रजिस्ट्री नम्बर 2015000324 दिनांक 05.05.2015 को उपंजीयक तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर पर पंजीबद्ध है एवं **अंग्रेज सिंह औद्योगिक भूखण्ड जो कि चक नम्बर 2, जीडी–ए,** ग्राम पंचायत 2 जीडी–बी, का मु. नं. 65/27 का साईज 0.063 है., किला नं. 1 से 33 फुट छोड़कर पूर्व की ओर 41. 25 गुणा 165 भूखण्ड तरूण बंसल पुत्र श्री करता राम के पूर्व की ओर चीपता हुआ है, जिसका रजिस्ट्री नम्बर 2015000325 दिनांक 05.05.2015 को उपंजीयक तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर पर पंजीबद्ध है, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणियों का खाता दिनांक 08.12.2021 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन. पी.ए.)** हो गये। बैंक द्वारा अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा **13(2) के नोटिस दिनांक 27.12.2021** को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 28.12.2021 से भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है और **अप्रार्थीगण के धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पत्रावली में उपलब्ध पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रक के अनुसार अप्रार्थी अंग्रेज सिंह को धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त हो गया है तथा अप्रार्थी मनदीप सिंह को जारी नोटिस पर रिपोर्ट "Item Returned Addressee cannot be located"** के अनुसार उसे धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:36:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) का नोटिस को **अप्रार्थी की सम्पत्ति पर चस्पा कर दो समाचार पत्रों सीमा संदेश एवं इण्डियन एक्सप्रैस में दिनांक 13.01.2022 को प्रकाशित करवाया है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस की विधिवत् तामील हो गई है।**

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है, वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी मनदीप सिंह का औद्योगिक भूखण्ड जो कि चक नम्बर 2, जीडी–ए, ग्राम पंचातय 2 जीडी–बी, का मु. नं. 65/27 का साईज 0.063 है., किला नं. 1 से 74.25 फुट छोड़कर पूर्व की ओर 41.25 गुणा 165 भूखण्ड अंग्रेज सिह पुत्र करनैल सिंह के पूर्व की चीपता हुआ है, जिसका रजिस्ट्री नम्बर 2015000324 दिनांक 05.05.2015 को उपंजीयक तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर पर पंजीबद्ध है एवं **अंग्रेज सिंह औद्योगिक भूखण्ड जो कि चक नम्बर 2, जीडी–ए,** ग्राम पंचायत 2 जीडी–बी, का मु.नं. 65/27 का साईज 0.063 है., किला नं. 1 से 33 फुट छोड़कर पूर्व की ओर 41.25 गुणा 165 भूखण्ड तरूण बंसल पुत्र श्री करता राम के पूर्व की ओर चीपता हुआ है, जिसका रजिस्ट्री नम्बर 2015000325 दिनांक 05.05.2015 को उपंजीयक तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर पर पंजीबद्ध है, जो प्रार्थी बैंक के नाम बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:36:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जहां तक अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 27.12.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 27.12.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस **अप्रार्थीगण को** रजिस्टर्ड डाक से दिनांक **28.12.2021 को भिजवाये गये है, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है** एवं **अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप अप्रार्थी अंग्रेज सिंह का ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली मे उपलब्ध है और अप्रार्थी ऋणी मनदीप सिंह के ऑनलाईन रिपोर्ट – Item Returned Address can not be located के अनुसार उसे धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। जससे स्पष्ट है कि अप्रांर्थी मनदीप सिंह को धारा 13(2) के नोटिस की रजिस्टर्ड डाक से विधिवत् तामील नहीं हुई है। इसलिए** प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) का नोटिस को अप्रार्थी की **सम्पत्ति पर चस्पा कर दो समाचार पत्रों सीमा संदेश एवं इण्डियन एक्सप्रैस में दिनांक 13.01.2022 को प्रकाशित करवाया है,** जिसके परिणामस्वरूप चस्पांदगी रिपोर्ट एवं समाचार पत्रों की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी मनदीप सिंह एवं अंग्रेज के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अदानी कैपीटल प्राईवेट लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वी[illegible] जाता है** और अप्रार्थी ऋणी मनदीप सिंह का औद्योगिक भूखण्ड [illegible] 2, ओडी–ए, ग्राम पंचातय 2 जीडी–बी, का मु.नं. 65/27 का साईज 0.063 है., [illegible]ला नं. 1 से 74.25 फुट छोड़कर पूर्व की ओर 41.25 गुणा 165 भूखण्ड अंग्रेज सिह पुत्र करनैल सिंह के पूर्व की चीपता हुआ है, जिसका रजिस्ट्री नम्बर 2015000324 दिनांक 05.05.2015 को उपंजीयक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:36:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर पर पंजीबद्ध है एवं **अंग्रेज सिंह औद्योगिक भूखण्ड जो कि चक नम्बर 2, जीडी—ए,** ग्राम पंचायत 2 जीडी—बी, का मु.नं. 65/27 का साईज 0.063 है., किला नं. 1 से 33 फुट छोड़कर पूर्व की ओर 41.25 गुणा 165 भूखण्ड तरूण बंसल पुत्र श्री करता राम के पूर्व की ओर चीपता हुआ है, जिसका रजिस्ट्री नम्बर 2015000325 दिनांक 05.05.2015 को उपंजीयक तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर पर पंजीबद्ध है **का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:36:09 IST
Reason: SelfAttested